रजिस्टर्ड नं० ल-33/एस० एम० 14/92.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 18 जुलाई, 1992/27 आषाढ़, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जुलाई, 1992

संख्या: गृह (ए) ए(9) 24/92.—हिमाचल प्रदेश सरकार को यह सूचित किया गया है कि 21 मार्च, 1992 को ऊना में हुए मेड़ी मेले में श्रद्धालुओं तथा वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस बल में झड़प हुई थी,

और यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस बल ने न केवल अपने अधिकार का उल्लंघन किया बल्कि श्रद्धालुओं की पिटाई भी की अपितु अनाधिकार धार्मिक स्थल को अपवित्र भी किया, और जिला मैजिस्ट्रेट ऊना ने इस घटना की सच्चाई जानने के लिए न्यायायिक जांच का आदेश दिया था ।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन होगा कि उक्त घटना जो कि सार्वजनिक हित का मामला है की जांच के लिए जांच आयोग नियुक्त किया जाए

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जांच आयोग अधिनियम, 1952, की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुरजीत सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डी, को उपर्युक्त घटना से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों पर जांच करने और इस अधिसूचना के प्रमाणित किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर इस निमित अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं :—

(1) घटना स्थल पर, घटना घटित होने से पूर्व और पश्चात् क्या स्थिति थी,

(2) क्या तथ्य और परिस्थितियां थीं जिनके कारण अभिकथित मारपीट, पत्थर फेंकने और आगजनी इत्यादि की गई और वहां मौके पर तैनात, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली मशिनरी की क्या प्रतिक्रियाएं थी और अनुक्रियाएं भी ?

(3) क्या यह सत्य है कि कुछ पुलिस कर्मियों ने अपने आचरण के विरुद्ध कार्य करते हुए धार्मिक स्थान की पवित्रता का अतिक्रमण किया ?

(4) क्या यह सत्य है कि वहां पर चल रहे अखण्ड पाठ में उन्होंने विघ्न डाला और ग्रन्थियों से मारपीट की ?

(5) यदि कोई सुरक्षा कर्मी धार्मिक स्थान के ग्रन्थीं की सुरक्षा हेतु तैनात थे तो उन्होंने क्या भूमिका निभाई ।

(6) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपाए ।

(7) कोई अन्य विषय जो आयोग की राय में उपर्युक्त घटना के तथ्यों से सुसंगत हों ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की आगे यह राय है कि इस सम्बन्ध में की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के उपबन्धों को आयोग के लिए लागू किया जाए और उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि धारा 5 की उपधारा (2), (3), (4) और (5) में वर्णित उपबन्ध आयोग को लागू होंगे ।

जांच आयोग का मुख्यालय मण्डी में होगा और जिला ऊना सहित ऐसे स्थानों की यात्रा भी कर सकेगा जो कि जांच को आगे बढ़ाने म आवश्यक हों ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
मुख्य सचिव ।

[*Authorised English Text of notification No. Home (A) A (9) 24/92 dated 17-7-97 under Article 345 of the Constitution of India.*]

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th July, 1992

No. Home (A) A (9) 24/92.—WHEREAS, it has been reported to the **H. P.** Govt. that a clash between the devotees and the police force deployed for maintenance of law and order at Mairi fair at Una took place on March 21, 1992;

AND WHEREAS, it has been alleged that the Police Force allegedly abused their authority, beet up the devotees and unduly tried to violate the sanctity of the religious place ;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Una had ordered a magisterial enquiry to get at the truth behind this incidence;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it would be more expedient and in the public interest to appoint a Commission of Inquiry to enquire into the aforesaid occurrence which is a matter of public importance ;

NOW, THEREFORE, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 3 (1) of the Commission of Inquiry Act, 1952, is pleased to appoint Shri Surjeet Singh, District and Sessions Judge Mandi as the Commission of Inquiry and to enquire into and report on the following matters in relation to the aforementioned occurrence within a period of 6 months from the date of publication of the notification:—

(1) What was the situation prevailing on the spot before and after the incident?

(2) What were the facts and circumstances leading to the alleged beatings, stone throwing and arson etc. and what were the reactions and responses of the law and order enforcement machinery deployed at site ?

(3) Whether it is a fact that some of the police personnel by virtue of their conduct violated the sanctity of the religious place ?

(4) Whether it is a fact that they disturbed the recitation of the Akhand Path and beat the Granthis ?

(5) What was the role played by the security guards, if any, attached to the Granthi of the religious place ?

(6) To recommend steps necessary for the prevention of recurrence of such incidents in future ; and

(7) any other matter which in the opinion of the Commission is relevant to the ascertaining of facts relating to this aforesaid occurrence ?

Further, the Governor of Himachal Pradesh, is of the opinion that having regard to the nature of the enquiry to be conducted and other circumstances of the case, the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952, should be made applicable to the Commission and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 5 of the aforesaid Act is pleased to direct that the provisions mentioned in sub-section (2), (3) (4) and (5) of section 5 shall apply to the Commission.

The Commission shall have its headquarters at Mandi and may also visit such places including District Una as may be necessary in the furth rance of the Inquiry.

By order,

Sd/-
Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।